## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2011

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-06-2011-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/ प्रसंस्करणकर्ता को मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 एवं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2010 के प्रावधानों के अनुरूप विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन मण्डी फीस से भुगतान में छूट दी गई है.

मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना में संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की "शर्त क्रमांक (3)" को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:—

"शर्त क्रमांक (3)—मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अधिसूचित फूड पार्क में स्थापित उपरोक्त शर्त (2) में वर्णित अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जिनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में क्रय की गई या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी. परन्तु "गेहूं" आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई जिसके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को केवल राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर ही मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अजय सिंह गंगवार,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2011

क्र. डी-15-02-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 26 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अजय सिंह गंगवार,** उपसचिव.

Bhopal, the 26th May 2011

No. D-15-06-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), State Government, as provided in the Madhya Pradesh Food Processing Policy 2008 and Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, have exempted Food Processing Industry/ Processor from payment of market fees payable under the said Act as per the terms and conditions specified in this department's notification No. D-15-06-2011-XIV-3, dated 2nd February 2011.

In exercise of powers conferred by sub-section (1) & (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendment in this Department's said notification, namely:—

In the said notification "Condition Number- (3)" is rescinded and shall be substituted by the following, that is;

"Condition Number-(3)—Food Processing Industry listed in condition (2) above, which have been established in the Food Parks, notified by the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department, with the investment in Plant and Machinery of above Rs. 50 Lakh, would be considered for exemption from payment of mandi Fee on the notified agricultural produce purchased within any market area of the state and or brought into any market area from out of state. However, "wheat" based Food Processing Industry with the investment in Plant and Machinery of above Rs. 50 Lakh would be considered only for exemption from payment of mandi Fee on the notified agricultural produce purchased within any market area of the State.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

## गृह विभाग
### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. एफ-1(ए) 26-92-ब-2-दो.—श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल को दिनांक 30 मई से 17 जून 2011 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश,